


न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली

- नोटिस -

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'कोरोना वायरस' (Novel Corona Virus) (COVID-19) को महामारी घोषित करने के पश्चात् व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई. दिनांक 14.04.20 व परिपत्र क्रमांक 18 पी.आई. दिनांक 17.5.20 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में इस न्यायालय में लम्बित सभी प्रकरणों में नियत तिथि के स्थान पर निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है। इस अवधि में केवल आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी-

<u>नियत तिथि</u>	<u>आगामी तिथि</u>
18.5.2020	10.06.2020
19.5.2020	11.06.2020
20.5.2020	12.06.2020
21.5.2020	15.06.2020
22.5.2020	16.06.2020
26.5.2020	17.06.2020
27.5.2020	18.06.2020
28.5.2020	19.06.2020
29.5.2020	20.06.2020
30.5.2020	22.06.2020

सभी पक्षकारान एवं अधिवक्तागण सूचित रहे ।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली